संख्याः एडीजी परिपत्र ०२/२०१३

अरूण कुमार,
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक
(अपराध एवं कानून-व्यवस्था)
उत्तर प्रदेश
१- तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः फरवरी २१, २०१३

विषयः विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार।

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान समय में विवेचनाओं के स्तर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को न्यायपालिका, मीडिया एवं अन्य श्रोतों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभियोजन अधिकारियों द्वारा ब्रीफ तैयार करने की परम्परा की समाप्ति से विवेचनाओं के विधिक परीक्षण की परम्परा समाप्त होती जा रही है। इस कारण जहां सही विवेचना न होने से अपराधों पर अंकुश लगाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मुकदमों में सजा दिलाने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपराधों के पर्यवेक्षण का कार्य भी काफी शिथिल हो गया है।

2. अब समय आ गया है कि विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु कदम उठाये जायं। प्रदेश में सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना पूर्णतया लागू हो जाने के बाद वर्तमान में प्रचलित विवेचना पद्धति में काफी बदलाव आयेगा। अतः आवश्यक है कि हम अभी से विवेचना के तरीकों में परिवर्तन लाना प्रारम्भ कर दें। हत्या और बलात्कार के मुकदमों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्याः डीजी-03/2013 दिनांकः 16.01.2013 द्वारा व्यापक निर्देश दिये गये हैं। इस परिपत्र द्वारा सभी विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार किये जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा चिन्हित की जा रही हैः-

वैज्ञानिक पद्धति से विवेचना हेतु अपेक्षित कार्यवाहीः

(1) घटना की सूचना मिलने परः

1. थाने अथवा पुलिस कन्ट्रोल रूम पर घटना की सूचना मिलने पर घटना स्थल से निकटतम पुलिस पैट्रोल को घटना-स्थल पर पहुंचने के लिये तत्काल सूचित करना और उन्हे निर्देशित करना कि वे घटना स्थल को सुरक्षित रखेंगे। पुलिस कन्ट्रोल रूम सूचना मिलने पर यह सूचना थाने को भी देगा।

2. यदि थाने अथवा पुलिस कन्ट्रोल रूम पर सूचना दूरभाष से मिली हो, तो सूचनाकर्ता को घटनास्थल को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित करना।
3. थाने से विवेचक व सहयोगी टीम द्वारा घटना स्थल के लिये Cordon off Tape लेकर प्रस्थान करना।
4. थाने द्वारा जिला फील्ड यूनिट को घटना स्थल पर पहुंचने के लिये निर्देशित करना।

(2) <u>घटना स्थल पर निम्नलिखित कार्यवाही करना</u> :-

1. First responder द्वारा Cordon off Tape से घटना स्थल को सुरक्षित करना। तदोपरान्त वह यह सूचना थाने को देगा कि घटना स्थल सुरक्षित कर लिया गया है।
2. दो स्वतंत्र एवं सम्मानित गवाहों को पड़ोस से बुलाना।
3. गवाहों को अनुसंधान टीम के कार्यो के बारे में बताना।
4. आवश्यकतानुसार अनुसंधान टीम की व्यक्तिगत तलाशी गवाहों के द्वारा करवाना एवं इसका उल्लेख फर्द, केस डायरी आदि में करना।

(3) <u>घटनास्थल का निरीक्षण</u> :-

1. विवेचक द्वारा सूचनाकर्ता व गवाहों से घटना की जानकारी प्राप्त करना।(विस्तार से गवाही बाद में ली जा सकती है।)
2. विवेचक द्वारा सरसरी निगाह से घटना स्थल का निरीक्षण करना और तदोपरान्त घटना स्थल पर किये जाने वाले कार्य के लिये योजना बनाना।
3. कार्य को टीम के सदस्यों के बीच विभाजित करना।
4. इसके बाद घटना स्थल का विस्तार से परीक्षण करना। फील्ड इकाई के साथ मिलकर घटना स्थल से सुरागों की तलाशी करना। यहां यह अवश्य ध्यान में रखा जाय कि घटना स्थल पर विवेचक, उसकी टीम व फील्ड इकाई के अतिरिक्त अन्य लोग न आयें। इस टीम में आवश्यकतानुसार कम से कम ही व्यक्ति रखे जायं। यह विशेष ध्यान दिया जाय कि किसी भी साक्ष्य को विशेषज्ञ के अतिरिक्त किसी के द्वारा न छुआ जाय। यदि फील्ड इकाई के पहुंचने में अधिक विलम्ब होने की संभावना हो तो यह कार्य विवेचक कर सकता है।
5. भौतिक साक्ष्य को चिन्हित व नम्बर अंकित करना।
6. घटना स्थल का फोटो/वीडियो खींचना।

7. घटना स्थल का नक्शा-नजरी बनाना।

(4) <u>भौतिक साक्ष्यों को एकत्रित करना :-</u>

1. फील्ड यूनिट द्वारा तरतीब से पैकिंग कराना व विवेचक द्वारा भौतिक साक्ष्यों का सीजर मेमो बनाना। यदि फील्ड इकाई के पहुंचने में अधिक विलम्ब होने की संभावना हो तो यह कार्य विवेचक कर सकता है, परन्तु भौतिक साक्ष्य संकलन व पैकेजिंग वैज्ञानिक तरीके से किया जाए।
2. सीजर मेमो पर स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर कराना। यदि किन्हीं कारण स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन कारणों का उल्लेख फर्द व सी0डी0 में करते हुये पुलिस कर्मी को गवाह बनाकर भौतिक साक्ष्य संकलन किया जाए।

(5) <u>घटना के सम्बन्ध में पूछतांछ</u> :-

1. विवेचक द्वारा घटना स्थल पर रह रहे व्यक्तियों व पड़ोसियों से पूँछताछ करना। दूसरी टीम आस-पास के इलाके से जानकारी प्राप्त कर सकती है।
2. विवेचक द्वारा गवाहों के बयान के आधार पर घटनास्थल का पुर्नगठन (reconstruction) करना।

(6) <u>ब्लाइंड केसों का अनावरण</u> :-

जिन अपराधों में अभियुक्त के बारे में प्रथम दृष्टया कोई जानकारी नहीं होती है, उन केसेज में प्रतिवादी अज्ञात होता है। इन केसों को वर्कआउट करने हेतु विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस विषय में निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिये :-

1. यदि अपराध सम्पत्ति के विरूद्ध कारित किया गया है यथा डकैती, लूट, चेन स्नेचिंग आदि जिसमें वादी ने प्रतिवादी को देखा है लेकिन उसे जानता नहीं है। ऐसे मामलों में थाना व जनपद स्तर पर पूर्व में क्रियाशील रहे अपराधियों के फोटोग्राफ वादी को दिखाकर सुराग पता करने की कोशिश करना चाहिये।
2. इसके बाद आवश्यकतानुसार अपराधी का फोटो कम्प्यूटर केन्द्र या एस0टी0एफ0 आदि में उपलब्ध साफ्टवेयर द्वारा तैयार कराना चाहिये। आवश्यकतानुसार इस फोटो को अखबारों में प्रकाशित कराया जा सकता है।
3. Modus operandi ज्ञात करके थाने/जिले के अभिलेखों के आधार पर अपराधी या गिरोह की जानकारी करने का प्रयास करना चाहिये।
4. इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में उक्त अपराध में क्रियाशील अपराधियों के बारे में पतारसी, सुरागरसी किया जाना लाभदायक होता है।

5. अज्ञात अपराधों में इलेक्ट्रानिक सर्विलांस का उपयोग भी किया जाना चाहिये।
6. वर्तमान समय में इलेक्ट्रानिंक सर्विलांस पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है और हमने मुखबिरों पर कार्य करना बन्द कर दिया है। अतः आवश्यकता है कि इस ओर भी विशेष ध्यान देकर ऐसे मुकदमों का अनावरण करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

(7) <u>विवेचना के गुणात्मक सुधार एवं सफल अभियोजन हेतु कार्य-योजना बनाना।</u>

विवेचना के गुणात्मक सुधार एवं सफल अभियोजन हेतु यह आवश्यक है कि प्रारम्भ से ही विवेचना की कार्य-योजना बना ली जाय। विवेचना की कार्य-योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश हो :-

1. **<u>मौखिक साक्ष्य</u> :-**
   यहां यह उल्लेख किया जाये कि प्रश्नगत अपराध के संदर्भ में किन साक्षियों, अभियुक्तो व संदिग्ध का कथन, किन-किन बिन्दुओं पर लिया जाना है तथा प्रत्येक व्यक्ति से क्या-क्या पूछना है।
2. **<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u> :-**
   अभिलेखीय साक्ष्य के संबंध में यह निश्चय कर लिया जाना चाहिये कि किस-किस अभिलेख का अवलोकन करने/अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता है और किस बिन्दु पर उनकी सन्निरिक्षा की जानी है।

3. **<u>परिस्थिति जनक/मैटीरियल (फायर मार्क, कारतूस, खोखे, फिगंर प्रिन्ट, खून के धब्बे इत्यादि) साक्ष्य</u> :-**

   परिस्थिति जन्य साक्ष्य/वैज्ञानिक साक्ष्य के बारे में यह निर्धारण कर लिया जाना चाहिये कि घटना स्थल पर क्या-क्या मैटीरियल साक्ष्य एकत्रित किया जाना है और उनमें से किन-किन बिन्दुओं पर वैज्ञानिक अभिमत, परीक्षण और विश्लेषण कराया जाना है, जिससे कि अपराध के सफल अनावरण एवं सफल अभियोजन में अकाट्य साक्ष्य मिल सके। विवेचना हेतु योजना बनाते समय यह भी निर्धारित कर लिया जाये कि किन-किन बिन्दुओं पर विशेषज्ञों (चिकित्सा विशेषज्ञ, अंगुष्ठ छाप विशेषज्ञ, विधि विज्ञान प्रयोग शाला विशेषज्ञ एवं रसायन विशेषज्ञ इत्यादि) का अभिमत प्राप्त किया जाना चाहिये और किन पदार्थो को विशेषज्ञ के यहां परीक्षण हेतु भेजा जाना आवश्यक है।

ऐसा सम्भव है कि अधिकतर अपराधों में घटनास्थल से ही साक्ष्य संकलन आरम्भ हो जाय। ऐसी दशा में घटनास्थल से लिये गये साक्ष्य के उपरांत विवेचक वापस थाने पर आकर कार्ययोजना बनायेगा। इस रिपोर्ट में वह यह उल्लेख करेगा कि कार्ययोजना के बिन्दुओं में से किन बिन्दुओं पर घटनास्थल पर ही कार्यवाही कर ली गयी है और किन बिन्दुओं पर अग्रिम विवेचना करनी है।

<u>कार्ययोजना का अनुमोदन</u> :-

1. हत्या व बलात्कार के अपराधों में कार्ययोजना थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी से 24 घण्टे के अन्दर अनुमोदित करायेगें। यह अनुमोदित कार्ययोजना तदोपरान्त अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक के पास उनके अवलोकन व निर्देश, यदि कोई हों, के लिये भेजी जायेगी।
2. हत्या व बलात्कार के अतिरिक्त विवेचना की कार्ययोजना का अनुमोदन विवेचनाधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से 24 घण्टे के अन्दर लेगा। तदोपरांत अनुमोदित कार्ययोजना क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक के पास अवलोकन व निर्देश, यदि कोई हों, के लिये भेजी जायेगी।
3. यदि विवेचनाधिकारी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं तो कार्ययोजना का अनुमोदन अपर पुलिस अधीक्षक करेंगें और तदोपरांत अनुमोदित कार्ययोजना पुलिस अधीक्षक को अवलोकन व निर्देश, यदि कोई हों, के लिये भेजी जायेगी।

यह ध्यान में रखा जाय कि **<u>इस कार्ययोजना को अभियोग दैनिकी के साथ न्यायालय नहीं भेजा जायेगा।</u>** विवेचना योजना की 02 प्रतियां बनायी जायेंगी जिसकी एक अनुमोदित प्रति विवेचक अपने मार्गदर्शन हेतु रखेगा व दूसरी प्रति एस0आर0 पत्रावली पर उपलब्ध रहेगी। गैर एस.आर. प्रकरणों में थाने पर एक पत्रावली अलग से रखी जायेगी जो विवेचना समाप्त होने के 03 वर्ष बाद नष्ट की जाय।

(8) <u>केस डायरी का लिखना:-</u>

1. केस डायरी में एफ0आई0आर0 व जी0डी0 की नकल नहीं उतारी जायेगी। उसका मात्र उल्लेख कर एफ0आई0आर0 व जी0डी0 की नकल संलग्न की जायेगी।

2(a) **<u>बयान लिखने की प्रक्रिया</u>** : जिन व्यक्तियों के धारा 161 सीआरपीसी के बयान लेने हैं, उनको यथासंभव धारा 160सीआरपीसी के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करके थाने पर बुलाया जाएगा और उनके आगमन की इण्ट्री जी0डी0 में की जाएगी। तदोपरान्त विवेचक धारा 161 सीआरपीसी का बयान अभिलिखित करेंगे। धारा 160(3)सीआरपीसी के प्राविधान के तहत बयान की आडियो-वीडियो की रिकार्डिंग भी करायी जा सकती है।

(b) महिलाओं व बच्चों का बयान उनके निवास स्थान पर ही लिया जाएगा।

(c) यदि किन्हीं कारणों से गवाह को 160सीआरपीसी के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करके थाने पर बुलाना सम्भव नहीं है, और उसका बयान अन्य जगह पर अभिलिखित करना हो तो उन कारणों का उल्लेख स्पष्ट रूप से अभियोग दैनिकी में किया जाय।

(d) हर हालत में 161सी0आर0पी0सी0 का बयान गवाह के समक्ष ही लिखा जाय।

(e) गवाहों के बयान को केस डायरी पर अंकित किया जाय एवं अन्त में गवाह को पढ़कर सुनाया जाये । बयान के अंत में ''जो बोला गया वह लिखा गया,'' वाक्य अंकित किया जायेगा।

(f) केस डायरी में मुखबिर मामूर करने, समयी साक्ष्य व इस प्रकार के अनावश्यक बयान लिखने की आवश्यकता नही है।

(g) धारा 161 सीआरपीसी के बयान केवल उन्ही गवाहों के लिये जाएंगे, जिनकी गवाही अभियोजन के लिये जरूरी हो।

(h) गवाहों की पहचान को निर्विवाद रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से धारा 170 सी0आर0पी0सी0 में दी गई व्यवस्था के अनुसार गवाह से बन्ध पत्र भरवाना आवश्यक है। बन्ध पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(i) विवेचना के दौरान साक्ष्य में लिये गये अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां केस डायरी के साथ संलग्न की जाय और साथ ही साथ केस डायरी में उस अभिलेख की संदर्भ संख्या व अभियोजन के प्रयोग में लाये जाने वाले प्रासंगिक उद्धरण (Relevant extract) का उल्लेख किया जाय।

(j) धारा 161सीआरपीसी के बयान के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करायें एवं डाइंग डिक्लेरेशन, पी0एम0 रिपोर्ट व इंजरी रिपोर्ट को संलग्न करके उसका उद्धरण लिखने की प्रक्रिया पूरी की जाय।

(k) घटना स्थल से जो भौतिक साक्ष्य एकत्रित किये गये हों, उन्हे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजते समय विवेचक रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रश्न पूँछेगा कि वह उस भौतिक साक्ष्य से क्या प्रमाण चाह रहा है।

(l) प्रत्येक दिवस की लिखी हुयी केस डायरी 24 घण्टे के अन्दर क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजी जाएगी।

(9) **पर्यवेक्षण :-**

1. **कार्ययोजना :-**

(a) पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिवस प्राप्त केस डायरी का अनुश्रवण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विवेचना कार्य-योजना के अनुसार ही चल रही है। यदि विवेचना में कोई अन्य मार्ग-दर्शन देना हो, तो उसे उचित समय पर दे दिया जायेगा।

(b) विवेचना के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदित कार्य-योजना के अतिरिक्त कुछ और गवाहों के बयान या अभिलेखीय साक्ष्य लेना है, तो विवेचक निर्धारित अधिकारी से उसका अनुमोदन करायेंगे। अनुमोदनोपरान्त ही अन्य गवाहों के बयान लिये जाएंगे।

2. **गिरफ्तारी :-**

(a) विवेचना के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है, तो उसका भी अनुमोदन विवेचक अपने निकटतम पर्यवेक्षक अधिकारी, जो क्रमशः थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं, से लेंगे और उसके उपरान्त ही गिरफ्तारी करेंगे।

(b) विवेचना में किसी भी अभियुक्त को धारा 41ए सीआरपीसी में बिना गिरफ्तारी किये नोटिस देने की आवश्यकता है, तो गिरफ्तारी न किये जाने का कारण दर्शाते हुये विवेचक अपने निकटतम पर्यवेक्षक अधिकारी से उसका अनुमोदन लेंगे।

3. कार्ययोजना या गिरफ्तारी/गिरफ्तारी न करने के अनुमोदन में **यदि किन्हीं कारणों से कार्यवाही से पूर्व लिखित अनुमोदन लेने में विलम्ब होता है या उससे विवेचना की गोपनीयता भंग हो सकती है, तो निवेदन पत्र में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय,** परन्तु उपरोक्त कार्य निकटतम पर्यवेक्षण अधिकारी की मौखिक अनुमति के बिना न किया जाय।

4. विवेचना में किसी भी अभियुक्त का नाम घटाने, बढ़ाने या प्रकाश में लाने हेतु विवेचक लिखित रूप से इसका अनुमोदन निम्नलिखित अधिकारी से लेगें:-

अपराध	**अनुमोदन अधिकारी**
हत्या/बलात्कार	प्रभारी पुलिस अधीक्षक
डकैती/लूट/दहेज हत्या	अपर पुलिस अधीक्षक
अन्य अपराध	क्षेत्राधिकारी

5. विवेचना समाप्त करने से पूर्व विवेचक एक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, जिसमें वह साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त अपना मत प्रेषित करेंगे कि किस अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाना है और किस के विरूद्ध नही। अनुमोदन उपरोक्तानुसार अधिकारी से लिया जायेगा। अनुमोदन अधिकारी के निर्णय के उपरान्त ही विवेचक तद्नुसार आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
6. उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये गैर एस.आर. प्रकरण की विवेचना की पत्रावली थाने पर रखी जाएंगी और समस्त रिपोर्ट उन पत्रावलियों में उपलब्ध रहेंगी। एस0आर0 केस में यह सभी अनुमोदन एस0आर0 पत्रावली पर उपलब्ध रहेंगे।

10. <u>आरोप पत्र बनाना</u> :-

मा0 न्यायालयों में भेजे जा रहे आरोप पत्र बहुत ही सरसरी तौर पर बनाये जाते हैं। इसका कारण यह है कि आरोप पत्र में आवश्यक चीजों का समावेश नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप पत्र छपे हुये प्रारूप पर ही मा0 न्यायालय भेजा जाये। उसके कालम प्लेनशीट पर भी लिखकर भेजा जा सकता है। आरोप पत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं का होना आवश्यक है :-

1. घटना के बारे में संक्षिप्त जानकारी।
2. मौखिक साक्ष्य, जिसके आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है और जिसे न्यायालय में परीक्षित किया जाना है, की सूची व गवाह का नाम, स्थायी व वर्तमान पता, मोबाइल/लैण्डलाइन नम्बर अंकित किया जाए। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि इस सूची में केवल उन्ही गवाहों के नाम लिखे जायें जिनका मा0 न्यायालय में परीक्षण करवाना है। उदाहरणस्वरूप पंचायतनामा के पाँचों गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं है।
3. अभिलेखीय साक्ष्य की सूची, जिसे मा0 न्यायालय में परीक्षित किया जाना है।

4. मौखिक साक्ष्य में ही विशेषज्ञों, डाक्टरों आदि के नाम रखे जायेगें जो विवेचना से सम्बन्धित अभिलेखों को सिद्ध करेगें। उनके भी पूरे नाम, पद, वर्तमान व स्थायी पता, मोबाइल/लैण्डलाइन नम्बर अंकित किया जाए।

उपरोक्त दिशा-निर्देश सिर्फ विवेचना को वैज्ञानिक तरीके से करने हेतु दिये जा रहे हैं परन्तु हर अपराध अपने आप में अलग होता है और इसमें विवेचक की अपनी सूझ-बूझ एवं उसकी अर्न्तदृष्टि का कोई पर्याय नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि विवेचक अपराध के अनावरण में रूचि लें। अपराध के सही अनावरण के बाद मुकदमें में सजा न होना हमारे परिश्रम को शून्य कर देता है। अतः आवश्यक है कि विधिक ढंग से केस डायरी लिखी जाय और साक्ष्यों के आधार पर ही आरोप पत्र लगाया जाये। मुझे उम्मीद है कि उप निरीक्षक एवं उससे ऊपर के सभी अधिकारीगण विवेचना की महत्ता को समझते हुये नये जोश-खरोश के साथ अपराधों की विवेचना करेगें जिससे इस बिन्दु पर विभाग की गिरती छबि को सुधारा जा सके।

यह परिपत्र पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(अरूण कुमार)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0। (नाम से)

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

<u>प्रारूप</u>

धारा 170 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत
<u>अभियोजन चलाने या साक्ष्य देने के लिये बन्ध पत्र</u>

मैं.....पुत्र.....(नाम) जो.....(स्थान) का हूं अपने को आबद्ध करता हूं कि मैं न्यायालय द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर न्यायालय में हाजिर होऊंगा और उसी समय अभियुक्त/अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप के मामले में अभियोजन चलाऊंगा (या अभियोजन चलाऊंगा और साक्ष्य दूंगा) (या साक्ष्य दूंगा) और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी .....रूपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

तारीख .....

हस्ताक्षर/निशान अंगूठा